

वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 फरवरी 2016-माघ 23, शके 1937

भाग 3 (1)

विज्ञापन

न्यायालयों की सूचनाएं

Applicant's Advocate : Shri N.P.Parmar

PUBLIC NOTICE

Before Shree I. C. Shah Sahib, Principal District Judge & M.A.C. Tribunal (Main),
Sabarkantha District, At-Himmatnagar, Gujarat State.

M.A.C. Petition No. 1041 of 2011

Exh. No. 22.

Applicant : Manjulaben @ Madhuben Prabhudas Parmar
Age-42, At-Daramali, Ta-Idar, Dist-Sabarkantha.

Versus

Opponent : (1) Shahnajabi Anwarshaikh (Teli)
At-Shikandarbad, Colony Indore,
Opp.Grossary Shop, At-Ghodesavar Madhya Pradesh
(2) Anand Pannalal Charan At-32-30, Municipal Office Road,
Indore, (Madhya Pradesh).

Next Date : 29/02/2016.

The aforesaid Opponent No. 1 & 2 is hereby informed by this public notice that the above said applicant has filed this petition against you for getting compensation of Rs.10,00,000/- (Rupees Ten Lac Rs. Only) U/s. 166 of M.V. Act, 1988.

Frequent attempts has been made to serve upon you by this court but all the notices returned unserved. Hence, you are hereby informed by this public notice to remain present in person before this Tribunal on 29th February, 2016 at 11:00 A.M for filling your reply on the claim petition. You are hereby also informed to remain present on the date with all your written documents upon which you rely.

You are hereby given this notice that if you will not remain present on the above said date, the matter will be heard and decided in your absence.

You are hereby also given this notice that on the above said date or before it, if you will fail to furnish your address, no attention will be given on your defence, which may please note.

Given under my hand and seal of this Tribunal on this 22nd day of January, 2016.

Notice:

drawn by : (Sumit. S. Patel)
Assistant.

Notice

Comp. by : (M. S. Nai)
Superintendent.

By Order

(N. K. Leaua)

Dy. Registrar (MACT)

District Court,

S. K.@Himmatnagar
Gujarat State.

(598-B.)

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

समस्त शहरवासियों को सूचित किया जाता है कि शादी के पूर्व मेरा नाम अंजुम पिता वाय. के. शेख था जो कि अब बदलकर अन्शुम काटमोरे हो गया है. अतः मुझे अब इसी नाम से जाना-पहचाना जावे एवं सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय, बैंक व अन्य कानूनी दस्तावेजों में भी मुझे इसी नाम से जाना जाये.

पुराना नाम :

(अंजुम शेख)

नया नाम :

(अन्शुम काटमोरे)

पता:- 16/3, मोती तबेला,
इन्दौर (मध्यप्रदेश).

(599-बी.)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम SALIM KHAN PATHAN था. परन्तु अब मैंने नाम परिवर्तित कर SALIM KHAN कर लिया है जो कि मेरे समस्त दस्तावेजों में दर्ज है, आगे से मुझे SALIM KHAN के नाम से जाना जाये.

पुराना नाम :

(SALIM KHAN PATHAN)

नया नाम :

(SALIM KHAN)

Utkarsh Vihar Colony,
Badwani Marg, Ward No.-3,
Rajpur, Distt.-Badwani (M.P.).

(600-B.)

CHANGE OF NAME

Previously-I was known as SONU PANDEY Here after I will be known as ADARSH PANDEY S/o. SHER BAHADUR PANDEY Resident of J-6, SAINIK SOCIETY COLONY, DUMNA ROAD, JABALPUR-482001 (M.P.). The Legal formalities are complete therefore here after in all Govt. records and all my School College Private records my correct name ADARSH PANDEY to be written/spoken called for all purpose.

Old Name :

(SONU PANDEY)

New Name :

(ADARSH PANDEY)

(601-B.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम कुमारी शकुन्तला शर्मा पुत्री श्री रामकृष्ण शर्मा था. विवाह पश्चात् अब मेरा नाम परिवर्तित होकर श्रीमती शकुन्तला चतुर्वेदी पत्नि श्री राजेश कुमार चतुर्वेदी हो गया है.

अतः मुझे इसी नाम से जाना एवं पहचाना जावे एवं समस्त पत्र व्यवहार एवं कार्यवाही इसी नाम से की जावे.

पुराना नाम :

(कु. शकुन्तला शर्मा)

पुत्री श्री रामकृष्ण शर्मा.

नया नाम :

(शकुन्तला चतुर्वेदी)

पत्नि श्री राजेश कुमार चतुर्वेदी,
ग्राम व पोस्ट करियावटी, तहसील डबरा,
जिला ग्वालियर (म.प्र.).

(603-बी.)

CHANGE OF NAME

My Old Name JITENDRA KUMAR R/o 74-A KAILASH Nagar BHOPAL (M.P.). I have changed my name, my New Name is now known and called as JITENDRA KUMAR SETHIA.

Old Name :

New Name :

(JITENDRA KUMAR)**(JITENDRA KUMAR SETHIA)**

S/o Guttuo Lal,

Address—74-A, Kailash Nagar,
Bhopal (M.P.).

(607-B.)

आम सूचना

मेरे पक्षकार की ओर से सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं पीयूष कपूर पुत्र श्री राजनारायण कपूर, निवासी-हाल मुकाम म. नं. 369, मेन रोड, ग्राम-गुनगा, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल है को पीयूष कुमार कपूर के स्थान पर पीयूष कपूर के नाम से जाना जाये. क्योंकि शासकीय अभिलेखों में मेरा नाम पीयूष कपूर के नाम से दर्ज है तथा मुझे इसी नाम से जाना जाये, पढ़ा जाये लिखा एवं जाना-पहचाना जाये.

अतः सर्व-साधारण में सूचित हो.

एन. के. साहू,

द्वारा-अधिवक्ता,

एफ-9, एलाईड काम्प्लेक्स,

मोती मस्जिद के सामने, भोपाल.

(602-बी.)

PUBLIC NOTICE

Know all men that due of death of Shri Gulam-Us-Swaliheen (expired on 06-02-2015) 6 New partners Shri Manzoorul Quiyoom, Shri Qais Ahmed, Smt. Rahmatunnisha, Shri Akbar Ahmed Khan, Shri Wazid Ahmed and Shri Owais Ahmed has been admitted w.e.f. 07-02-2015 in the registered firm **M/s M. Ishaq M. Gulam alias Modern Bidi Factory, Katni (Reg. No. 695, Year 1966-67, Dated 27-08-1966)** last amended on 23-07-2006. The firm has now thirteen partners as Shri Hazi Gulam Murtuza, Shri Anwarul Quiyoom, Shri Gulam Hasnain, Shri Mohd. Haris, Shri. Sajid Ahmed, Shri Mohd. Khalid, Shri Gulam Ishaq Ahmed, Shri Manzoorul Quiyoom, Shri Qais Ahmed, Smt. Rahmatunnisha, Shri Akbar Ahmed Khan, Shri wazid Ahmed and Shri Owais Ahmed w.e.f. 07-02-2015.

For-M/s M. Ishaq M. Gulam
Alias Modern Bidi Factory.**HAJI GULAM MURTUZA,****(Partner).**

katni.

(604-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे. शुक्ला कांस्ट्रक्शन कम्पनी, सिरमौर, जिला रीवा से दिनांक 01-04-2008 से निम्न पार्टनरों को पृथक् किया जाता है.—

1. श्रीमती राजकली शुक्ला

2. श्रीमती बेलाकली शुक्ला

उक्त दिनांक से ही फर्म में दो नये पार्टनर 1. श्री पवन कुमार शुक्ला, 2. श्री जीतेन्द्र शुक्ला को शामिल किया जा रहा है फर्म से पृथक् किये गये पार्टनरों का उक्त दिनांक पश्चात् फर्म से कोई लेना-देना नहीं रहेगा. शेष पार्टनर यथावत् फर्म में बने रहेंगे.

M/s Shukla Construction Co.

JITENDRA SHUKLA,**(Partner).**

(605-B.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स रामचन्द्र छोटेलाल एण्ड कम्पनी पार्टनरशिप फर्म के रूप में स. पंजीयक कार्यालय फर्म्स एवं संस्थाएं इन्दौर में पंजीकृत है. यहकि, दिनांक 27-06-1997 को फर्म के साझेदार श्री रामचन्द्र पिता छोटेलाल, निवासी नोगाव, जिला धार की मृत्यु होने से फर्म के साझेदार नहीं रहे एवं दिनांक 28-06-1997 को फर्म में श्रीमती गीताबाई पति श्री रामचन्द्र, निवासी नोगाव, जिला धार को फर्म में

भागीदार के रूप में शामिल किया गया है। साथ ही दिनांक 07-09-2009 को फर्म के साझेदार श्री ध्रुव कुमार पिता श्री छोटेलाल, निवासी नोगाव, जिला धार की मृत्यु होने से फर्म के साझेदार नहीं रहे एवं दिनांक 07-09-2009 को फर्म में श्री आकाश चौधरी पिता श्री रामचन्द्र चौधरी, निवासी नोगाव, जिला धार एवं श्री पंकज चौधरी पिता श्री ध्रुव कुमार चौधरी, निवासी नोगाव, जिला धार को फर्म में भागीदार के रूप में शामिल किया गया है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 अंतर्गत पालनार्थ सर्व सूचना है।

For M/s Ramchandra Chhotelal & Co.

पंकज चौधरी,

(Partner).

(606-B.)

विविध

आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं

कार्यालय कलेक्टर, मण्डला

मण्डला, दिनांक 22 दिसम्बर, 2015

क्र./ए.एस.सी./2015/1056.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-2/1999/1/4, भोपाल, दिनांक 30 मार्च, 1999 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर, मण्डला वर्ष-2016 में मण्डला जिले के लिए निर्मांकित तिथियों को सम्पूर्ण दिवस के लिए स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ:—

क्रमांक	दिनांक	दिन	स्थानीय अवकाश का नाम
1.	24 मार्च, 2016	गुरुवार	होली का दूसरा दिन (बसंतोत्सव)
2.	10 अक्टूबर, 2016	सोमवार	दशहरा (महानवमी)
3.	31 अक्टूबर, 2016	सोमवार	दीपावली का दूसरा दिन

उक्त अवकाश बैंकों, कोषालयों/उप कोषालयों के लिए लागू नहीं होंगे।

लोकेश कुमार जाटव,

कलेक्टर.

(113)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पंजीयक, लोक न्यास, मण्डलेश्वर, जिला खरगौन

रा. प्र. क्र. 01/बी-113/2015-16.

मण्डलेश्वर, दिनांक 21 जनवरी, 2016

फार्म-चार

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) तथा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर आवेदक संस्थापक श्री विनय चैतन्यपुरी जी महाराज, निवासी मण्डलेश्वर, तहसील महेश्वर द्वारा ओंकार सेवा मिशन-गुप्तेश्वर महादेव मंदिर एवं कपिल मठ नरसिंह मंदिर गंगाझिरा मण्डलेश्वर, तहसील महेश्वर, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश का पंजीयन किये जाने का निवेदन किया है।

उक्त आवेदन-पत्र न्यास गठन की कार्यवाही मेरे न्यायालय में प्रचलित है यदि कोई व्यक्ति या हितबद्ध पक्षकार उक्त न्यास के गठन या पंजीयन के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करना चाहता है तो वह अपनी आपत्ति या सुझाव लिखित में इस सूचना प्रकाशन के 30 दिवस की अवधि में मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी आपत्ति/सुझाव मान्य नहीं किया जावेगा।

लोक न्यास का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण

- न्यास का नाम .. ओंकार सेवा मिशन-गुप्तेश्वर महादेव मंदिर एवं कपिल मठ नरसिंह मंदिर गंगाझिरा मण्डलेश्वर, तहसील महेश्वर, जिला खरगौन मध्यप्रदेश.
- न्यास का पता .. गुप्तेश्वर महादेव मंदिर, मण्डलेश्वर, तहसील महेश्वर, जिला खरगौन मध्यप्रदेश.

3. चल सम्पत्ति .. 5,00,000/- रुपये (पाँच लाख मात्र)
4. अचल सम्पत्ति .. ग्राम मण्डलेश्वर में भूमि सर्वे नं. 396 रकबा 0-044 हैक्ट. भूमि एवं ट्रस्ट में स्थित शिव मंदिर, दुर्गा मंदिर, हनुमान मंदिर एवं शनि मंदिर.

यह सूचना आज दिनांक 21 फरवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी की गई.

बी. एस. सोलंकी,

अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(88)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट (शहर) रतलाम

क्र.03/बी-113/2015-5.

रतलाम, दिनांक 15 जनवरी, 2016

फार्म-4

[नियम-5(1)देखिए]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-4(2) के तहत]

क्र./03/आर-3/16.—आवेदक श्री दिनेश मकवाना पिता श्री मोहनलाल मकवाना-अध्यक्ष, निवासी-14, पवन सूत कृपा छत्रीपुल, रतलाम द्वारा मध्यप्रदेश के द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत "श्री रधुवीर धर्मार्थ एवं परमार्थिक चेरिटैबल ट्रस्ट" 4, श्री राम मंदिर भगतपुरी रतलाम के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है, जिसकी सुनवाई दिनांक....2-2016 को की जावेगी.

2. अतएव जिस किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट या उसकी सम्पत्ति के प्रति रुचि हो, प्रकरण में नियत दिनांक 15 फरवरी, 2016 को इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की प्रतियां प्रस्तुत करें और स्वयं या अपने अधिवक्ता अथवा एजेंट के द्वारा प्रातः 11 बजे नियत दिनांक को उपस्थित हों. निर्धारित समय समाप्त होने पर प्रस्तुत आवेदन-पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

न्यास का पूरा नाम	..	" श्री रधुवीर धर्मार्थ एवं परमार्थिक चेरिटैबल ट्रस्ट रतलाम "
		4, श्री राम मंदिर भगतपुरी रतलाम.
अचल सम्पत्ति	..	निरंक.
चल सम्पत्ति	..	87,000/- बैंक में जमा.

सूनील झा,

रजिस्ट्रार.

(89)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, उपखण्ड-जावद, जिला नीमच

प्र.क्र.01/बी-113(1)/2015-16.

दिनांक 08 जनवरी, 2016

प्रोसेस नं. 45

प्रारूप क्रमांक-4

[देखें नियम-5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और म.प्र. लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1)के द्वारा]

आवेदक सचिव श्री रामानुज राठी, निवासी अवध, तहसील रोड जावद, जिला नीमच मध्यप्रदेश श्री महेश्वरी समाज भवन प्राइवेट ट्रस्ट जावद, जिला नीमच मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है. एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर प्रकरण संस्थित किया जाकर आगामी पेशी तारीख 16 फरवरी, 2016 पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अक्सान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम व पता . . . श्री महेश्वरी समाज भवन प्राइवेट ट्रस्ट जावद, जिला नीमच मध्यप्रदेश.
सम्पत्ति का विवरण .—

1. मुखर्जी मार्ग जावद स्थित भवन क्रमांक 205, पर सराह महेश्वरी समाज जावद का भवन अनुमानित कीमत रु. 57,10,000/- तथा निर्माण कार्य में खर्च की गई राशि रु. 48,88,590/-.
2. दुकान टीनपोश राशि रु. 12,00,000/-
3. बैंक में जमा राशि रु. 7,15,000/-
4. नगद राशि रु. 97,387/-

जगदीश मेहरा,
अनुविभागीय अधिकारी.

(90)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास, नीमच**प्रारूप-चार**

[नियम-5(1)देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 उपधारा-2 और

म.प्र. लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5(1)देखिए]

चूंकि श्री के. अब्राहम पिता स्व. श्री कोशी, निवासी-417/1, मनासा रोड, (हाऊस ऑफ पाम्स के पास) राधास्वामी सत्संग के सामने, नीमच द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया गया है.

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 19 फरवरी, 2016 को विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस विज्ञप्ति के द्वारा सूचना दी जाती है.

अतः मैं, सुनील डावर, पंजीयक, लोक न्यास नीमच, मध्यप्रदेश का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 19 फरवरी, 2016 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के अंदर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और न्यायालय के समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

लोक न्यास का नाम और पता : "जायन (ZION) सोशियल एवं वेलफेयर ट्रस्ट"
निवासी-417/1, मनासा रोड, (हाऊस ऑफ पाम्स के पास)
राधास्वामी सत्संग के सामने, नीमच.

लोक न्यास की सम्पत्ति का विवरण :-

1. अचल सम्पत्ति : निरंक
2. चल सम्पत्ति : रु. 10,000/- (अक्षरी रुपये दस हजार मात्र).

दिनांक- 18 जनवरी, 2016

सुनील कुमार डावर,
अनुविभागीय अधिकारी.

(91)

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

पाटीदार सेवा फाउण्डेशन, पता- शॉप नम्बर 13, जी सच्चिदानंद कला मंदिर, क्रॉस रोड, बिल्डिंग विजय नगर, इन्दौर (म.प्र.) की ओर से दिलीप कुमार पटेल, निवासी-शॉप नम्बर 13, जी सच्चिदानंद कला मंदिर, क्रॉस रोड, बिल्डिंग विजय नगर इन्दौर म.प्र. द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता एवं चल/अचल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	पाटीदार सेवा फाउण्डेशन.
पता	:	कार्यालय शॉप नम्बर 13, जी सच्चिदानंद कला मंदिर, क्रॉस रोड, बिल्डिंग विजय नगर, इन्दौर (मध्यप्रदेश).
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 10,000/- (रु. दस हजार मात्र).

आज दिनांक 05 नवम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

वरद मूर्ति मिश्रा,
रजिस्ट्रार.

(112)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, भिण्ड .

प्र.क्र.02/15-16/बी-113.

[फार्म-4 नियम (11) देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) के अंतर्गत]

जैसा कि मुख्य न्यासी एवं संरक्षक श्री श्री 108 श्री सियाराम दास उर्फ कागभुसुण्डजी, निवासी जानकी कुण्ड, मैथली गली, चित्रकूट, तहसीलदार जिला मझगांवा, जिला सतना हाल इन्दिरा पार्क के सामने हाउसिंग कॉलोनी, भिण्ड (म.प्र.) ने (श्री श्री 108 श्री सियाराम दास जी महाराज सेवा न्यास, भिण्ड) के पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश ट्रस्ट अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में दर्शाई सम्पत्ति के पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 15 मार्च, 2016 को विचार में लिया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के एक माह में स्वयं या अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम	:	श्री श्री 108, श्री सियाराम दास जी महाराज सेवा न्यास, भिण्ड.
2. चल सम्पत्ति	:	10,000/- रुपये नगद, बर्तन एवं न्यास द्वारा सेवा हेतु उपयोगी सामान कीमत लगभग 20,000/- रुपये.
3. अचल सम्पत्ति	:	भूखण्ड 1225 वर्ग फीट मौजा रजौला, तहसील मझगांवा, जिला सतना.

(114)

बी. बी. अग्निहोत्री,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता, जिला सागर

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

वरदान महिला बीड़ी श्रमिक सहकारी समिति

मर्या., ढाना, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/204.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार वरदान महिला बीड़ी श्रमिक सहकारी समिति, मर्या., ढाना, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1331, दिनांक 25 अगस्त, 2009 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.

2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुसार वरदान महिला बीड़ी श्रमिक सहकारी समिति, मर्या., ढाना, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(92)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

सोनम बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या.,

दयानंद वार्ड, सागर, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/205.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार सोनम बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., दयानंद वार्ड, सागर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1333, दिनांक 06 अक्टूबर, 2009 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.

2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी

अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सोनम बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., दयानंद वार्ड, सागर, को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयवधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(92-A)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

माँ दुर्गा बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या.,

सेमराबाग लालेपुर, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/206.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार माँ दुर्गा बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., सेमराबाग लालेपुर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1336, दिनांक 18 मई, 2010 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए माँ दुर्गा बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., सेमराबाग लालेपुर, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न-उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयवधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(92-B)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

गणेश महिला बरी पापड़ उद्योग सहकारी

समिति मर्या., सागर, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/207.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार गणेश महिला बरी पापड़ उद्योग सहकारी समिति मर्या., सागर, जिला सागर

पंजीयन क्रमांक 470 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए गणेश महिला बरी पापड़ उद्योग सहकारी समिति मर्या., सागर, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(92-C)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

शिवाजी ईट भट्टा उद्योग सहकारी समिति

मर्या., गढ़ा, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/208.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार शिवाजी ईट भट्टा उद्योग सहकारी समिति मर्या., गढ़ा, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1382, दिनांक 14 अक्टूबर, 2011 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए शिवाजी ईट भट्टा उद्योग सहकारी समिति मर्या., गढ़ा, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(92-D)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

गोपाल महिला औषधि सहकारी

समिति मर्या., संजरा, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/209.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार गोपाल महिला औषधि सहकारी समिति मर्या., संजरा, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1465, दिनांक 11 सितम्बर, 2013 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए गोपाल महिला औषधि सहकारी समिति मर्या., संजरा, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयविधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(92-E)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

महात्मा गांधी कृषक कल्याण सहकारी

समिति मर्या., सिमरिया, जिला सागर (म.प्र.):

क्र./परि./2016/210.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार महात्मा गांधी कृषक कल्याण सहकारी समिति मर्या., सिमरिया, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1176, दिनांक 05 फरवरी, 2005 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महात्मा गांधी कृषक कल्याण सहकारी समिति मर्या., सिमरिया, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयवधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(92-F)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

जिला बीड़ी सहकारी संघ मर्या.,

सागर, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/211.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार जिला बीड़ी सहकारी संघ मर्या., सागर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 152, दिनांक 10 अक्टूबर, 2008 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला बीड़ी सहकारी संघ मर्या., सागर, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयवधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(92-G)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

किसान सहकारी शीतगृह एवं वर्फ फेक्ट्री

मर्या., सागर, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/212.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार किसान सहकारी शीतगृह एवं वर्फ फेक्ट्री मर्या., सागर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 24, दिनांक 30 दिसम्बर, 1966 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसान सहकारी शीतगृह एवं वर्फ फेक्ट्री मर्या., सागर, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयवधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(92-H)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

गैर कृषि साख सहकारी समिति मर्या.,

शनीचरी हरिजन, सागर, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/213.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार गैर कृषि साख सहकारी समिति मर्या., शनीचरी हरिजन, सागर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 399, दिनांक 25 सितम्बर, 1939 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए गैर कृषि साख सहकारी समिति मर्या., शनीचरी हरिजन, सागर, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयवधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(92-I)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

गैर कृषि साख सहकारी समिति मर्या.,

मछरयाई हरिजन, सागर, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/214.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार गैर कृषि साख सहकारी समिति मर्या., मछरयाई हरिजन, सागर, जिला सागर

पंजीयन क्रमांक 387, दिनांक 25 सितम्बर, 1939 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए गैर कृषि साख सहकारी समिति मर्या., मछरयाई हरिजन, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(92-J)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

गैर कृषि साख सहकारी समिति मर्या.,

इतवारी प्रजापति, सागर, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/215.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार गैर कृषि साख सहकारी समिति मर्या., इतवारी प्रजापति, सागर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 803, दिनांक 03 जून; 1955 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए गैर कृषि साख सहकारी समिति मर्या., इतवारी प्रजापति, सागर, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(92-K)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

गैर कृषि साख सहकारी समिति मर्या.,

तिली चौरसिया, सागर, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/216.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार गैर कृषि साख सहकारी समिति मर्या., तिली चौरसिया, सागर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1017, दिनांक 03 मई, 1955 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए गैर कृषि साख सहकारी समिति मर्या., तिली चौरसिया, सागर, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयविधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(92-L)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

गैर कृषि साख सहकारी समिति मर्या.,

नगर पालिका, सागर, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/217.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार गैर कृषि साख सहकारी समिति मर्या., नगर पालिका, सागर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 298, दिनांक 03 मार्च, 1976 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए गैर कृषि साख सहकारी समिति मर्या., नगर पालिका, सागर, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(92-M)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

गैर कृषि साख सहकारी समिति मर्या.,

चितांश कल्याण, सागर, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/218.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार गैर कृषि साख सहकारी समिति मर्या., चितांश कल्याण, सागर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 111, दिनांक 26 अक्टूबर, 1995 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए गैर कृषि साख सहकारी समिति मर्या., चितांश कल्याण, सागर, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(92-N)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

गैर कृषि साख सहकारी समिति मर्या.,

म.प्र. पुलिस, 10वीं वाहिनी, सागर, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/219.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार गैर कृषि साख सहकारी समिति मर्या., म.प्र. पुलिस, 10वीं वाहिनी, सागर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 767, दिनांक 02 सितम्बर, 2000 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए गैर कृषि साख सहकारी समिति मर्या., म.प्र. पुलिस, 10वीं वाहिनी, सागर, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(92-0)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

गैर कृषि साख सहकारी समिति मर्या.,

म.प्र. पुलिस कर्मचारी, मकरोनियां सागर, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/220.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार गैर कृषि साख सहकारी समिति मर्या., म.प्र. पुलिस कर्मचारी, मकरोनियां सागर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 750, दिनांक 02 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए गैर कृषि साख सहकारी समिति मर्या., म.प्र. पुलिस कर्मचारी, मकरोनियां सागर, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(92-P)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

बड़ा बाजार अल्प वचत सहकारी समिति मर्या.,

सागर, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/221.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार बड़ा बाजार अल्प वचत सहकारी समिति मर्या., सागर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 248,

दिनांक 28 नवम्बर, 1959 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बड़ा बाजार अल्प वचत सहकारी समिति मर्या., सागर, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(92-Q)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

बिजली कर्मचारी अल्प वचत सहकारी

समिति मर्या., सागर, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/222.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार बिजली कर्मचारी अल्प वचत सहकारी समिति मर्या., सागर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 26, दिनांक 30 दिसम्बर, 1959 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिजली कर्मचारी अल्प वचत सहकारी समिति मर्या., सागर, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(92-R)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

नीलकंठ अल्प वचत सहकारी समिति

मर्या., सागर, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/223.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार नीलकंठ अल्प वचत सहकारी समिति मर्या., सागर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 597, दिनांक 24 अप्रैल, 1995 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीलकंठ अल्प वचत सहकारी समिति मर्या., सागर, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयविधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(92-S)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

कीर्ति अल्प वचत सहकारी समिति

मर्या., सागर, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/224.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार कीर्ति अल्प वचत सहकारी समिति मर्या., सागर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1115, दिनांक 01 मई, 2004 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए कीर्ति अल्प वचत सहकारी समिति मर्या., सागर, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(92-T)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

दि अमर कामगार पैसेंजर को-ऑपरेटिव,

सागर, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/225.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार दि अमर कामगार पैसेंजर को-ऑपरेटिव, सागर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 04, दिनांक 20 अगस्त, 1960 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि अमर कामगार पैसेंजर को-ऑपरेटिव, सागर, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(92-U)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

सागर सहकारी प्रिंटिंग प्रेस मर्या., सागर,

जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/226.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार सागर सहकारी प्रिंटिंग प्रेस मर्या., सागर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 103, दिनांक 19 अप्रैल, 1993 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सागर सहकारी प्रिंटिंग प्रेस मर्या., सागर, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(92-V)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

बुन्देलखण्ड ऑफसेट सहकारी मुद्रणालय

मर्या., सागर, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/227.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार बुन्देलखण्ड ऑफसेट सहकारी मुद्रणालय मर्या., सागर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 124, दिनांक 25 जुलाई, 2002 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बुन्देलखण्ड ऑफसेट सहकारी मुद्रणालय मर्या., सागर, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(92-W)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

जय श्री नारायण सहकारी मुद्रणालय मर्या.,

सागर, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/228.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार जय श्री नारायण सहकारी मुद्रणालय मर्या., सागर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 136,

दिनांक 03 जुलाई, 2003 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जय श्री नारायण सहकारी मुद्रणालय मर्या., सागर, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयविधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(92-X)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

वन श्री वृक्षारोपण सहकारी समिति मर्या.,

सागर, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/229.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार वन श्री वृक्षारोपण सहकारी समिति मर्या., सागर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 105, दिनांक 28 जुलाई, 1992 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए वन श्री वृक्षारोपण सहकारी समिति मर्या., सागर, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयविधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(92-Y)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

प्राथमिक फार्मर्स वानिकी सहकारी समिति मर्या.,

समनापुर, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/230.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार प्राथमिक फार्मर्स वानिकी सहकारी समिति मर्या., समनापुर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 44, दिनांक 03 जून, 1987 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक फार्मर्स वानिकी सहकारी समिति मर्या., समनापुर, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयविधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(92-Z)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

इफको प्रवर्तित सहकारी समिति मर्या.,

चित्तौरा, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/231.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार इफको प्रवर्तित सहकारी समिति मर्या., चित्तौरा, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 48, दिनांक 23 जून, 1988 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए इफको प्रवर्तित सहकारी समिति मर्या., चित्तौरा, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(93)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

इफको प्रवर्तित सहकारी समिति मर्या.,

सुरखी, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/232.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार इफको प्रवर्तित सहकारी समिति मर्या., सुरखी, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 49, दिनांक 23 जून, 1988 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए इफको प्रवर्तित सहकारी समिति मर्या., सुरखी, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(93-A)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

प्राथमिक फार्मर्स वानिकी सहकारी समिति मर्या.,

मढ़खेरा, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/233.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार प्राथमिक फार्मर्स वानिकी सहकारी समिति मर्या., मढ़खेरा, जिला सागर पंजीयन

क्रमांक 614, दिनांक 30 सितम्बर, 1995 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक फार्मर्स वानिकी सहकारी समिति मर्या., मढ़खेरा, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयविधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(93-B)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

प्राथमिक फार्मर्स वानिकी सहकारी समिति मर्या.,

मूड़रा, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/234.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार प्राथमिक फार्मर्स वानिकी सहकारी समिति मर्या., मूड़रा, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 615, दिनांक 30 सितम्बर, 1995 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक फार्मर्स वानिकी सहकारी समिति मर्या., मूड़रा, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयविधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(93-C)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

प्राथमिक फार्मर्स वानिकी सहकारी समिति मर्या.,

खमखुआ, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/235.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार प्राथमिक फार्मर्स वानिकी सहकारी समिति मर्या., खमखुआ, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 666 दिनांक 13 फरवरी, 1997 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक फार्मर्स वानिकी सहकारी समिति मर्या., खमखुआ, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयविधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(93-D)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

प्राथमिक फार्मर्स वानिकी सहकारी समिति मर्या.,

टेकापार, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/236.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार प्राथमिक फार्मर्स वानिकी सहकारी समिति मर्या., टेकापार, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 667, दिनांक 13 फरवरी, 1997 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी

अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक फार्मर्स वानिकी सहकारी समिति मर्या., टेकापार, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(93-E)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

प्राथमिक फार्मर्स वानिकी सहकारी समिति मर्या.,

बिलौआ (बेरखेड़ी), जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/237.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार प्राथमिक फार्मर्स वानिकी सहकारी समिति मर्या., बिलौआ (बेरखेड़ी), जिला सागर पंजीयन क्रमांक 696, दिनांक 31 जुलाई, 1997 दिनांक दिनांक द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक फार्मर्स वानिकी सहकारी समिति मर्या., बिलौआ (बेरखेड़ी), जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(93-F)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

प्राथमिक फार्मर्स वानिकी सहकारी समिति मर्या.,

सरखेड़ा, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/238.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार प्राथमिक फार्मर्स वानिकी सहकारी समिति मर्या., सरखेड़ा, जिला सागर पंजीयन

क्रमांक 698, दिनांक 31 जुलाई, 1997 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक फार्मर्स वानिकी सहकारी समिति मर्या., सरखेड़ा, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयविधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(93-G)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

प्राथमिक फार्मर्स वानिकी सहकारी समिति मर्या.,

मंजला, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/239.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार प्राथमिक फार्मर्स वानिकी सहकारी समिति मर्या., मंजला, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 739, दिनांक 22 अक्टूबर, 1998 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक फार्मर्स वानिकी सहकारी समिति मर्या., मंजला, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयविधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(93-H)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

प्राथमिक फार्मर्स वानिकी सहकारी समिति मर्या.,

रायखेड़ा, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/240.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार प्राथमिक फार्मर्स वानिकी सहकारी समिति मर्या., रायखेड़ा, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 738, दिनांक 22 अक्टूबर, 1998 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक फार्मर्स वानिकी सहकारी समिति मर्या., रायखेड़ा, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयविधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(93-1)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

प्राथमिक फार्मर्स वानिकी सहकारी समिति मर्या.,

सुना, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/241.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार प्राथमिक फार्मर्स वानिकी सहकारी समिति मर्या., सुना, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 745, दिनांक 27 मार्च, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक फार्मर्स वानिकी सहकारी समिति मर्या., सुना, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयवाधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(93-J)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

प्राथमिक फार्मर्स वानिकी सहकारी समिति मर्या.,

पडरई, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/242.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार प्राथमिक फार्मर्स वानिकी सहकारी समिति मर्या., पडरई, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1231, दिनांक 21 दिसम्बर, 2006 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक फार्मर्स वानिकी सहकारी समिति मर्या., पडरई, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयवाधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(93-K)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या.,

समनापुर, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/243.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., समनापुर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 908, दिनांक 08 दिसम्बर, 2002 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., समनापुर, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयविधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(93-L)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या.,

मेनपानी, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/244.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., मेनपानी, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 910, दिनांक 08 दिसम्बर, 2002 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., मेनपानी, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयविधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(93-M)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या.,

मोकलपुर, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/245.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., मोकलपुर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 941,

दिनांक 23 सितम्बर, 2002 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., मोकलपुर, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(93-N)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

अनुसूचित जाति महिला बहुउद्देशीय सहकारी

समिति मर्या., लहरिया सेमरा (राहतगढ़), जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/246.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार अनुसूचित जाति महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., लहरिया सेमरा (राहतगढ़), जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1000, दिनांक 26 दिसम्बर, 2002 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुसूचित जाति महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., लहरिया सेमरा (राहतगढ़), जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(93-O)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या.,

खुवारी, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/247.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., खुवारी, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 800, दिनांक 12 अप्रैल, 2002 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., खुवारी, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयविधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(93-P)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या.,

विनैका, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/248.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., विनैका, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 802, दिनांक 12 अप्रैल, 2002 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., विनैका, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(93-Q)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या.,

चौका भेड़ा, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/249.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., चौका भेड़ा, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 809, दिनांक 30 अप्रैल, 2002 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., चौका भेड़ा, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(93-R)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या.,

बेसली, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/250.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बेसली, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 897, दिनांक 01 अगस्त, 2002 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बेसली, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयवाधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(93-S)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या.,

टेटवारा, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/251.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., टेटवारा, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 968, दिनांक 28 सितम्बर, 2002 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., टेटवारा, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयवाधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(93-T)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या.,

महूना, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/252.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., महूना, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 883

दिनांक 27 जुलाई, 2002 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., महुना, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयविधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(93-U)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या.,

किल्लाई, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/253.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., किल्लाई, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 875, दिनांक 17 जुलाई, 2002 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., किल्लाई, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयविधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(93-V)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

हरसिद्धि माँ महिला बहुउद्देशीय सहकारी

समिति मर्या., अगरिया, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/254.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार हरसिद्धि माँ महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., अगरिया, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 925, दिनांक 13 सितम्बर, 2002 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरसिद्धि माँ महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., अगरिया, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयविधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(93-W)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या.,

बिछिया, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/255.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बिछिया, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 826, दिनांक 20 मई, 2002 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बिछिया, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(93-X)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

शिवाजी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या.,

बरखेड़ा गौतम, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/256.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार शिवाजी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बरखेड़ा गौतम, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 843, दिनांक 13 जून, 2002 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए शिवाजी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बरखेड़ा गौतम, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(93-Y)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

त्रियंबके गौरी महिला बहुउद्देशीय सहकारी

समिति मर्या., बड़गान, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/257.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार त्रियंबके गौरी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बड़गान, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 907, दिनांक 08 अगस्त, 2002 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए त्रियंबके गौरी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बड़गान, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयवाधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(93-Z)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

मोनिका महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या.,

हरदी, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/258.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार मोनिका महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., हरदी, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 970, दिनांक 28 सितम्बर, 2002 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोनिका महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., हरदी, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयवाधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(94)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

राधे-राधे महिला बहुउद्देशीय सहकारी

समिति मर्या., झागरी, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/259.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार राधे-राधे महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., झागरी, जिला सागर

पंजीयन क्रमांक 1019, दिनांक 21 जनवरी, 2003 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राधे-राधे महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., झागरी, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(94-A)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

महारानी लक्ष्मीबाई महिला बहुउद्देशीय सहकारी

समिति मर्या., कांसखेड़ छीर, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/260.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार महारानी लक्ष्मीबाई महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., कांसखेड़ छीर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 996, दिनांक 24 दिसम्बर, 2002 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महारानी लक्ष्मीबाई महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., कांसखेड़ छीर, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(94-B)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या.,

मंडीबामोरा, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/261.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., मंडीबामोरा, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 744, दिनांक 22 मार्च, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., मंडीबामोरा, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(94-C)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

लक्ष्मी महिला बहुउद्देशीय सहकारी

समिति मर्या., हड़कलखाती, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/262.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार लक्ष्मी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., हड़कलखाती, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 836, दिनांक 04 जून, 2002 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के

अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए लक्ष्मी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., हड़कलखाती, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(94-D)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

पुतरो महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या.,

मनऊ, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/263.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार पुतरो महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., मनऊ, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 868, दिनांक 08 जुलाई, 2002 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुतरो महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., मनऊ, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(94-E)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

कल्पतरू महिला बहुउद्देशीय सहकारी

समिति मर्या., सनाई, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/264.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार कल्पतरू महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सनाई, जिला सागर पंजीयन

क्रमांक 939, दिनांक 23 सितम्बर, 2002 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए कल्पतरू महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सनाई, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(94-F)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या.,

बेघनी, जिला सागर (म.प्र.).

क्र.परि./2016/265.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बेघनी, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 973, दिनांक 14 नवम्बर, 2002 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बेघनी, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(94-G)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या.,

खिमलासा, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/266.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., खिमलासा, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 896, दिनांक 30 जुलाई, 2002 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., खिमलासा, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयविधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(94-H)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

नवजागृति महिला बहुउद्देशीय सहकारी

समिति मर्या., झीकनी बरोदिया, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/267.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार नवजागृति महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., झीकनी बरोदिया, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 861, दिनांक 4 जुलाई, 2002 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए नवजागृति महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., झीकनी बरोदिया, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयवाधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(94-I)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या.,

नाऊढाना, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/268.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., नाऊढाना, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1036, दिनांक 12 मार्च, 2003 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., नाऊढाना, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयवाधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(94-J)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या.,

मंडीबामोरा, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/269.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., मंडीबामोरा, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1058, दिनांक 3 जुलाई, 2003 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., मंडीबामोरा, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(94-K)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या.,

ऐरन, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/270.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., ऐरन, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1137, दिनांक 06 अगस्त, 2004 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., ऐरन, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(94-L)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या.,

खिरिया कलां, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/271.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., खिरिया कलां, जिला सागर पंजीयन

क्रमांक 1065, दिनांक 01 सितम्बर, 2003 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., खिरिया कलां, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयवाधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(94-M)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या.,

कनेरा गौड़, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/272.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., कनेरा गौड़, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1070, दिनांक 11 सितम्बर, 2003 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., कनेरा गौड़, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयवाधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(94-N)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या.,

गुरयाना, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/273.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., गुरयाना, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1076, दिनांक 30 अक्टूबर, 2003 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., गुरयाना, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयविधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(94-0)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या.,

जामूकेशर, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/274—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., जामूकेशर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1080, दिनांक 07 जनवरी, 2004 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., जामूकेशर, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयवाधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(94-P)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या.,

बम्होरी जगदीश, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/275—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बम्होरी जगदीश, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1092, दिनांक 16 फरवरी, 2004 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बम्होरी जगदीश, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयवाधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(94-Q)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या.,

झुड़ा, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/276.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., झुड़ा, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1139, दिनांक 12 अगस्त, 2004 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., झुड़ा, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयविधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(94-R)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या.,

ढावरी, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/277.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., ढावरी, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1104, दिनांक 25 मार्च, 2004 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., ढावरी, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयविधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(94-S)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या.,

पनारी, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/278.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., पनारी, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1123;

दिनांक 16 जून, 2004 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., पनारी, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयवाधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(94-T)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या.,

बेरखेड़ी टाड, जिला सागर (म.प्र.).

क्र.:परि./2016/279.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बेरखेड़ी टाड, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1124, दिनांक 29 जून, 2004 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बेरखेड़ी टाड, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयवाधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(94-U)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या.,

मनझेरा, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/280.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., मनझेरा, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1164, दिनांक 14 जनवरी, 2005 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., मनझेरा, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयविधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(94-V)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

कामदेही महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या.,

वनहट, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/281.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार कामदेही महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., वनहट, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1163, दिनांक 12 जनवरी, 2005 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए कामदेही महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., वनहट, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(94-W)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

हंसवाहिनी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या.,

तोड़ाकाछी, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/282.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार हंसवाहिनी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., तोड़ाकाछी, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1166, दिनांक 14 जनवरी, 2005 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए हंसवाहिनी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., तोड़ाकाछी, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(94-X)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या.,

रेगवां, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/283.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., रेगवां, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1178, दिनांक 01 फरवरी, 2005 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., रेगवां, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(94-Y)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या.,

नगदा, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/284.— कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., नगदा, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1193, दिनांक 13 अप्रैल, 2005 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., नगदा, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(94-Z)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या.,

पाली, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/285.— कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., पाली, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1195,

दिनांक 15 अप्रैल, 2005 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., पाली, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(95)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या.,

गिलटोरा, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/286.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., गिलटोरा, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1197, दिनांक 15 अप्रैल, 2005 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., गिलटोरा, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(95-A)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

प्रगति महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या.,

जगराईकलां, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/287.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार प्रगति महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., जगराईकलां, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1199, दिनांक 28 अप्रैल, 2005 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रगति महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., जगराईकलां, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयविधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(95-B)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या.,

बम्हौरी नवाब, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/288.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बम्हौरी नवाब, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1208, दिनांक 13 जुलाई, 2005 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के

अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बम्हौरी नवाब, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(95-C)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या.,

मूडरी, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/289.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., मूडरी, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1210, दिनांक 20 जुलाई, 2005 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., मूडरी, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(95-D)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या.,

लुडियारा, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/290.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., लुडियारा, जिला सागर

पंजीयन क्रमांक 1315, दिनांक 15 जुलाई, 2008 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., लुडियारा, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(95-E)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

साईं प्रगति महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या.,

रजवांस, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/291.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार साईं प्रगति महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., रजवांस, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1332, दिनांक 09 मार्च, 2009 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए साईं प्रगति महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., रजवांस, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(95-F)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या.,

सेमरा सानौधा, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/292.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सेमरा सानौधा, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1001, दिनांक 26 दिसम्बर, 2002 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.

2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सेमरा सानौधा, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(95-G)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव,

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या.,

सेमरा दांत, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/293.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सेमरा दांत, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 1171, दिनांक 16 जून, 2004 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.

2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के

अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सेमरा दांत, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(95-H)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

रघुनायक प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या.,

सागर, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/294.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार रघुनायक प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., सागर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 525, दिनांक 27 अगस्त, 1994 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए रघुनायक प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., सागर, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(95-I)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

विद्युत कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी

समिति मर्या., सागर, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/295.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार विद्युत कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सागर, जिला सागर

पंजीयन क्रमांक 24, दिनांक 19 नवम्बर, 1981 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए विद्युत कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सागर, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयवधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(95-J)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

गुरूनानक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या.,

सागर, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/296.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार गुरूनानक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सागर, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 23, दिनांक 31 जुलाई, 1982 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुरूनानक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सागर, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयवधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(95-K)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

आदर्श गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या.,

बण्डा, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/297.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार आदर्श गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., बण्डा, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 15, दिनांक 09 अप्रैल, 1981 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदर्श गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., बण्डा, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(95-L)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

इन्द्रा गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या.,

केसली, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/298.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार इन्द्रा गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., केसली, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 17, दिनांक 21 अप्रैल, 1981 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है.
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन्द्रा गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., केसली, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयविधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(95-M)

सागर, दिनांक 11 जनवरी, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्रशासक,

गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या.,

रहली, जिला सागर (म.प्र.).

क्र./परि./2016/299.—कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., रहली, जिला सागर पंजीयन क्रमांक 123, दिनांक 24 नवम्बर, 2001 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार.—

1. प्रबंध कमेटी का निर्वाचन करने में असफल रही है।
2. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

अतः उपर्युक्त कारणों के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश भोपाल की उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., रहली, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस सम्बन्ध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयविधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(95-N)

पी. आर. कावड़कर,

उप-रजिस्ट्रार.

कार्यालय परिसमापक एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना

[मध्यप्रदेश सहकारी नियम, 1962 के नियम-57 (सी)के अन्तर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना के आदेश क्रमांक....., दिनांक द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है. परिसमापन में लायी गई संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है:—

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मदनपुर	717/23-01-2012	1211/29-10-2015
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., करुआ	683/31-01-2011	1212/29-10-2015

1	2	3	4
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., देवरा	652/11-12-2010	1213/29-10-2015
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भरौली	648/11-12-2010	1214/29-10-2015
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बराखुर्द	645/11-12-2010	1215/29-10-2015
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भरेवा	644/11-12-2010	1216/29-10-2015
7.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कोयलारी	643/11-12-2010	1217/29-10-2015
8.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., आमातारा	642/11-12-2010	1218/29-10-2015
9.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुठिलगंवा	606/11-12-2010	1219/29-10-2015
10.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भटूरा	598/06-12-2010	1220/29-10-2015
11.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., करौदीकाय	735/02-03-2015	1221/29-10-2015

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर (60 दिवस में) मय साक्ष्य प्रमाण सहित यदि हो तो मुझे अथवा कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में दावेदारगण (लेनदार-देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे, यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी/सदस्य के पास संस्था का कोई रिकार्ड/परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करा दें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

नरेन्द्र सिंह,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(67)

कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास

देवास, दिनांक 31 दिसम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अन्तर्गत]

शासकीय तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., देवास पंजीयन क्रमांक 327, दिनांक 06 नवम्बर, 1979 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) द्वारा समयावधि में संचालक मण्डल के निर्वाचन न कराये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम, कहा गया है) की धारा-49 (8)(2) (ख) के अन्तर्गत संचालकों के पद स्वतः रिक्त माने जाकर श्री एन. के. गुप्ता, पद व. सह. निरीक्षक को संस्था में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था. अधिनियम, अनुसार प्रशासक की नियुक्ति के पश्चात् 6 माह की कालावधि में संचालक मण्डल के सदस्यों के निर्वाचन कराये जाने थे. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने के लिये न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और न ही संस्था के किसी सदस्य द्वारा रूचि लिये जाना प्रतीत हुआ है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी उप-आयुक्त सहकारिता, जिला देवास मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासकीय तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., देवास पंजीयन क्रमांक 327, दिनांक 06 नवम्बर, 1979 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एन. के. गुप्ता, पद व. सह. निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(96)

देवास, दिनांक 31 दिसम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अन्तर्गत]

रामनगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., देवास पंजीयन क्रमांक 417, दिनांक 19 नवम्बर, 1981 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है)

द्वारा समयावधि में संचालक मण्डल के निर्वाचन न कराये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम, कहा गया है) की धारा-49 (8)(2) (ख) के अन्तर्गत संचालकों के पद स्वतः रिक्त माने जाकर श्रीमती मंजुलता अग्रवाल, पद व. सह. निरीक्षक को संस्था में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था. अधिनियम, अनुसार प्रशासक की नियुक्ति के पश्चात् 6 माह की कालावधि में संचालक मण्डल के सदस्यों के निर्वाचन कराये जाने थे. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने के लिये न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और न ही संस्था के किसी सदस्य द्वारा रूचि लिये जाना प्रतीत हुआ है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी उप-आयुक्त सहकारिता, जिला देवास मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रामनगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., देवास पंजीयन क्रमांक 417, दिनांक 19 नवम्बर, 1981 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्रीमती मंजुलता अग्रवाल, पद व. सह. निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(96-A)

देवास, दिनांक 31 दिसम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अन्तर्गत]

गायत्री गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., देवास पंजीयन क्रमांक 350, दिनांक 19 जुलाई, 1974 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) द्वारा समयावधि में संचालक मण्डल के निर्वाचन न कराये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम, कहा गया है) की धारा-49 (8)(2) (ख) के अन्तर्गत संचालकों के पद स्वतः रिक्त माने जाकर श्रीमती मंजुलता अग्रवाल, पद व. सह. निरीक्षक को संस्था में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था. अधिनियम, अनुसार प्रशासक की नियुक्ति के पश्चात् 6 माह की कालावधि में संचालक मण्डल के सदस्यों के निर्वाचन कराये जाने थे. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने के लिये न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और न ही संस्था के किसी सदस्य द्वारा रूचि लिये जाना प्रतीत हुआ है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी उप-आयुक्त सहकारिता, जिला देवास मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गायत्री गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., देवास पंजीयन क्रमांक 350, दिनांक 19 जुलाई, 1974 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्रीमती मंजुलता अग्रवाल, पद व. सह. निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(96-B)

देवास, दिनांक 31 दिसम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अन्तर्गत]

विक्रम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., देवास पंजीयन क्रमांक 393, दिनांक 10 जुलाई, 1981 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) द्वारा समयावधि में संचालक मण्डल के निर्वाचन न कराये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम, कहा गया है) की धारा-49 (8)(2) (ख) के अन्तर्गत संचालकों के पद स्वतः रिक्त माने जाकर श्री डी. एस. बाल्के, पद अंकेक्षण अधिकारी को संस्था में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था. अधिनियम, अनुसार प्रशासक की नियुक्ति के पश्चात् 6 माह की कालावधि में संचालक मण्डल के सदस्यों के निर्वाचन कराये जाने थे. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने के लिये न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और न ही संस्था के किसी सदस्य द्वारा रूचि लिये जाना प्रतीत हुआ है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी उप-आयुक्त सहकारिता, जिला देवास मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विक्रम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., देवास पंजीयन क्रमांक 393, दिनांक 10 जुलाई, 1981 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री डी. एस. बाल्के, पद अंकेक्षण अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(96-C)

देवास, दिनांक 31 दिसम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अन्तर्गत]

विशाल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., देवास पंजीयन क्रमांक 377, दिनांक 11 मार्च, 1981 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) द्वारा समयावधि में संचालक मण्डल के निर्वाचन न कराये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम, कहा गया है) की धारा-49 (8)(2) (ख) के अन्तर्गत संचालकों के पद स्वतः रिक्त माने जाकर श्री डी. एस. बाल्के, पद अंकेक्षण अधिकारी को संस्था में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था. अधिनियम, अनुसार प्रशासक की नियुक्ति के पश्चात् 6 माह की कालावधि में संचालक मण्डल के सदस्यों के निर्वाचन कराये जाने थे. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने के लिये न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और न ही संस्था के किसी सदस्य द्वारा रूचि लिये जाना प्रतीत हुआ है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी उप-आयुक्त सहकारिता, जिला देवास मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशाल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., देवास पंजीयन क्रमांक 377, दिनांक 11 मार्च, 1981 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री डी. एस. बाल्के, पद अंकेक्षण अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

के. एन. त्रिपाठी,

उप-आयुक्त सहकारिता.

(96-D)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबन्धक,

आदिवासी मत्स्य उद्योग सहकारी संस्था मर्या.,

मुहोंसा खुर्द.

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य नहीं कर रही है.
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसाइटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं प्रथम दृष्ट्या इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि, आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के सम्बन्ध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि, क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 21 दिसम्बर, 2015 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं. यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधान कारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि, उक्त आरोप आपको स्वीकार है. तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 18 नवम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(97)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबन्धक,

महिला प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या.,

चाचौडा.

क्र./विधि/2015/1701.—

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य नहीं कर रही है.
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसाइटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं प्रथम दृष्ट्या इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि, आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के सम्बन्ध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि, क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 21 दिसम्बर, 2015 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं. यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधान कारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि, उक्त आरोप आपको स्वीकार है. तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 18 नवम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(97-A)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबन्धक,

भारतीय महिला प्राथ. उपभोक्ता सहकारी

भण्डार मर्या., गुना.

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य नहीं कर रही है.
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसाइटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं प्रथम दृष्ट्या इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि, आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के सम्बन्ध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि, क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 21 दिसम्बर, 2015 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं. यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधान कारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि, उक्त आरोप आपको स्वीकार है. तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 18 नवम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(97-B)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबन्धक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.,

पाखरियापुरा.

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य नहीं कर रही है.
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसाइटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं प्रथम दृष्ट्या इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि, आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के सम्बन्ध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि, क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 21 दिसम्बर, 2015 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं. यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधान कारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि, उक्त आरोप आपको स्वीकार है. तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 18 नवम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(97-C)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबन्धक,

शिव शंकर प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी

भण्डार मर्या., गुना.

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.

2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य नहीं कर रही है.
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसाइटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं प्रथम दृष्ट्या इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि, आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के सम्बन्ध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि, क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 21 दिसम्बर, 2015 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं. यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधान कारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि, उक्त आरोप आपको स्वीकार है. तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 18 नवम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(97-D)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबन्धक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.,

छमनार.

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य नहीं कर रही है.
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसाइटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं प्रथम दृष्ट्या इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि, आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के सम्बन्ध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि, क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 21 दिसम्बर, 2015 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं. यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधान कारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि, उक्त आरोप आपको स्वीकार है. तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 18 नवम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(97-E)

गुना, दिनांक 18 नवम्बर, 2015

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबन्धक,

निशा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था

मर्या., गुना.

क्र./विधि/2015/1706.—

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य नहीं कर रही है.
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसाइटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं प्रथम दृष्ट्या इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि, आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के सम्बन्ध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि, क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 21 दिसम्बर, 2015 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं. यदि समयवधि में आपकी ओर से समाधान कारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि, उक्त आरोप आपको स्वीकार है. तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 18 नवम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(97-F)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबन्धक,

सार्वजनिक बहुउद्देशीय सहकारी संस्था

मर्या., हरीपुर.

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य नहीं कर रही है.
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसाइटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं प्रथम दृष्ट्या इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि, आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के सम्बन्ध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि, क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 21 दिसम्बर, 2015 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं. यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधान कारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि, उक्त आरोप आपको स्वीकार है. तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 18 नवम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(97-G)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबन्धक,

माँ शक्ति महिला प्राथ. उपभोक्ता सहकारी

भण्डार मर्या., गुना.

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य नहीं कर रही है.
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसाइटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं प्रथम दृष्ट्या इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि, आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के सम्बन्ध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि, क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 21 दिसम्बर, 2015 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं. यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधान कारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि, उक्त आरोप आपको स्वीकार है. तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 18 नवम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(97-H)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबन्धक,

महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या.,

बजरंगगढ़.

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.

2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य नहीं कर रही है।
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है।
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है। इस प्रकार आपकी सोसाइटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है।

उक्त आधार पर मैं प्रथम दृष्ट्या इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि, आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं।

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के सम्बन्ध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि, क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 21 दिसम्बर, 2015 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं। यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधान कारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि, उक्त आरोप आपको स्वीकार है। तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 18 नवम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(97-1)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबन्धक,

फौजी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार

मर्या., राधौगढ़.

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है।
2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य नहीं कर रही है।
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है।
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है। इस प्रकार आपकी सोसाइटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है।

उक्त आधार पर मैं प्रथम दृष्ट्या इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि, आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं।

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के सम्बन्ध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि, क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 21 दिसम्बर, 2015 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं। यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधान कारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि, उक्त आरोप आपको स्वीकार है। तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 18 नवम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(97-1)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबन्धक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.,

पिपरोदागिर्द.

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य नहीं कर रही है.
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसाइटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं प्रथम दृष्ट्या इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि, आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के सम्बन्ध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि, क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 21 दिसम्बर, 2015 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं. यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधान कारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि, उक्त आरोप आपको स्वीकार है. तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 18 नवम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(97-K)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबन्धक,

नवयुवक मत्स्य सहकारी संस्था मर्या.,

चाचौडा.

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य नहीं कर रही है.
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसाइटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं प्रथम दृष्ट्या इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि, आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999

द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के सम्बन्ध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि, क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 21 दिसम्बर, 2015 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं. यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधान कारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि, उक्त आरोप आपको स्वीकार है. तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 18 नवम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(97-L)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबन्धक,

सुविधा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी

भण्डार मर्या., कुम्भराज (गुना).

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य नहीं कर रही है.
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है.
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है. इस प्रकार आपकी सोसाइटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है.

उक्त आधार पर मैं प्रथम दृष्ट्या इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि, आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं.

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के सम्बन्ध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि, क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 21 दिसम्बर, 2015 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं. यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधान कारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि, उक्त आरोप आपको स्वीकार है. तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 18 नवम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(97-M)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबन्धक,

मत्स्योद्योग सह. संस्था मर्या.,

चारनपुरा.

1. आपकी संस्था विगत वर्षों से निष्क्रिय होकर अकार्यशील है.
2. आपकी संस्था साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य नहीं कर रही है.

3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने में असफल रही है।
4. संस्था द्वारा पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य एवं प्रगति नहीं की गई है। इस प्रकार आपकी सोसाइटी ने इस अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन पंजीकृत उद्देश्यों के अनुरूप कार्य न कर रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन कर उनका अनुपालन करना बंद कर दिया है।

उक्त आधार पर मैं प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि, आपकी संस्था के भविष्य में कार्यरत रहने की संभावना नहीं है एवं इस संस्था को परिसमापन में लाने के भी उपरोक्तानुसार पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं।

अतः मैं, उपेन्द्र सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुये यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, इस सूचना-पत्र के जारी दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उपरोक्त आरोपों के सम्बन्ध में अपना उत्तर संस्था की विशेष आमसभा की सहमति से प्रस्तुत करें कि, क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जावे? प्रकरण में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 21 दिसम्बर, 2015 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं। यदि समयावधि में आपकी ओर से समाधान कारक उत्तर/पक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि, उक्त आरोप आपको स्वीकार है। तदनुसार आपकी संस्था को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित किये जा सकेंगे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 18 नवम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

उपेन्द्र सिंह,
उप-पंजीयक.

(97-N)

कार्यालय परिसमापक, सुविधा साख सहकारी संस्था मर्या., खरगौन, तहसील खरगौन

खरगौन, दिनांक 10 दिसम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

सुविधा साख सहकारी संस्था मर्या., खरगौन, तहसील खरगौन, जिला खरगौन, जिसका पंजीयन क्रमांक/केआरजीएन/23, दिनांक 04 अगस्त, 2003 एवं संशोधित पंजीयन क्र.1726, 10 मार्च, 2014 है को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन के आदेश क्रमांक/परि./2015/1525, खरगौन, दिनांक 20 नवम्बर, 2013 से अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे।

यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका कोई भी दावा/क्लेम मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

(98)

कार्यालय परिसमापक, श्रीमातेश्वरी साख सहकारी संस्था मर्या., खरगौन, तहसील खरगौन

खरगौन, दिनांक 10 दिसम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

श्रीमातेश्वरी साख सहकारी संस्था मर्या., खरगौन, तहसील खरगौन, जिला खरगौन, जिसका पंजीयन क्रमांक/केआरजीएन/48, दिनांक 23 फरवरी, 2004 एवं संशोधित पंजीयन क्र.1750, 10 मार्च, 2014 है को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन के आदेश क्रमांक/परि./2015/1516, खरगौन, दिनांक 19 नवम्बर, 2013 से अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे।

यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका कोई भी दावा/क्लेम मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

(98-A)

कार्यालय परिसमापक, धनश्री साख सहकारी संस्था मर्या., खरगौन, तहसील खरगौन

खरगौन, दिनांक 10 दिसम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

धनश्री साख सहकारी संस्था मर्या., खरगौन, तहसील खरगौन, जिला खरगौन, जिसका पंजीयन क्रमांक/केआरजीएन/102, दिनांक 23 मार्च, 2006 है को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन के आदेश क्रमांक/परि./2015/1592, खरगौन, दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 से अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे.

यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका कोई भी दावा/क्लेम मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

(98-B)

कार्यालय परिसमापक, ऊं साईं क्रेडिट को-आपरेटिव लिमि. खरगौन, तहसील खरगौन

खरगौन, दिनांक 10 दिसम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

ऊं साईं क्रेडिट को-आपरेटिव लिमि. खरगौन, तहसील खरगौन, जिला खरगौन, जिसका पंजीयन क्रमांक/केआरजीएन/121, दिनांक 03 मार्च, 2007 संशोधित पंजीयन क्रमांक/1822/दिनांक 10 मार्च, 2014 है को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन के आदेश क्रमांक/परि./2015/1592, खरगौन, दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 से अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे.

यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका कोई भी दावा/क्लेम मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

(98-C)

कार्यालय परिसमापक, श्रीराम साख सहकारी संस्था मर्या., खरगौन, तहसील खरगौन

खरगौन, दिनांक 10 दिसम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

श्रीराम साख सहकारी संस्था मर्या., खरगौन, तहसील खरगौन, जिला खरगौन, जिसका पंजीयन क्रमांक/केआरजीएन/84, दिनांक 19 जुलाई, 2005 एवं संशोधित पंजीयन क्रमांक/1786/दिनांक 10 मार्च, 2014 है को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन के आदेश क्रमांक/परि./2015/1592, खरगौन, दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 से अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे.

यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका कोई भी दावा/क्लेम मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

(98-D)

कार्यालय परिसमापक, राजश्री साख सहकारी संस्था मर्या., खरगौन, तहसील खरगौन

खरगौन, दिनांक 10 दिसम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

राजश्री साख सहकारी संस्था मर्या., खरगौन, तहसील खरगौन, जिला खरगौन, जिसका पंजीयन क्रमांक/केआरजीएन/91, दिनांक 08 दिसम्बर, 2005 संशोधित पंजीयन क्रमांक/1793/दिनांक 10 मार्च, 2014 है को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन के आदेश क्रमांक/परि./2015/1592, खरगौन, दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 से अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे।

यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका कोई भी दावा/क्लेम मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

(98-E)

कार्यालय परिसमापक, अनंत साख सहकारी संस्था मर्या., खरगौन, तहसील खरगौन

खरगौन, दिनांक 11 दिसम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

अनंत साख सहकारी संस्था मर्या., खरगौन, तहसील खरगौन, जिला खरगौन, जिसका पंजीयन क्रमांक/केआरजीएन/1724, दिनांक 10 मार्च, 2014 है को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन के आदेश क्रमांक/परि./2015/795, खरगौन, दिनांक 07 जुलाई, 2015 से अधिनियम की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे।

यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका कोई भी दावा/क्लेम मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

(98-F)

कार्यालय परिसमापक, श्रद्धा साख सहकारिता मर्या., खरगौन

खरगौन, दिनांक 30 दिसम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

श्रद्धा साख सहकारिता मर्या., खरगौन, तहसील खरगौन, जिला खरगौन, जिसका पंजीयन क्रमांक 83, दिनांक 19 जुलाई, 2005 संशोधित पंजीयन क्रमांक 1785, दिनांक 10 मार्च, 2014 को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन के आदेश क्रमांक/परि./2015/1592, दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 से अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे।

यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका कोई भी दावा/क्लेम मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

(98-G)

राजेन्द्र महाजन,

सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद

होशंगाबाद, दिनांक 27 नवम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/3220.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./1062, होशंगाबाद, दिनांक 10 सितम्बर, 2013 के द्वारा परि भगवती स्वायत्त साख, जिला होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 31, दिनांक 30 जून, 2003 है को, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ, अधिनियम 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री व्ही. के. शर्मा, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक आयुक्त (अंके.) होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) की रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-2-2010 दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये भगवती स्वायत्त साख, जिला होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 31, दिनांक 30 जून, 2003 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी)को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 27 नवम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(99)

होशंगाबाद, दिनांक 27 नवम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/3221.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./722, होशंगाबाद, दिनांक 29 मार्च, 2014 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी आरी, जिला होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 2663, दिनांक 18 जून, 1998 है को, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ, अधिनियम 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री व्ही. के. शर्मा, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक आयुक्त (अंके.) होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) की रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-2-2010 दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी आरी, पंजीयन क्रमांक 2663, दिनांक 18 जून, 1998 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी)को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 27 नवम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(99-A)

होशंगाबाद, दिनांक 27 नवम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/3222.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./721, होशंगाबाद, दिनांक 29 मार्च, 2014 के द्वारा दुग्ध उत्पादक गूजर खेड़ी, जिला होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 2678, दिनांक 22 जनवरी, 1999 है को, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ, अधिनियम 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री व्ही. के. शर्मा, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक आयुक्त (अंके.) होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) की रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-2-2010 दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक गूजर खेड़ी, पंजीयन क्रमांक 2678, दिनांक 22 जनवरी, 1999 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी)को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 नवम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(99-B)

होशंगाबाद, दिनांक 27 नवम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/3223.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./719, होशंगाबाद, दिनांक 29 मार्च, 2014 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सह. बोरतलाई, जिला होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 2846, दिनांक 28 मई, 2005 है को, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ, अधिनियम 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री व्ही. के. शर्मा, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक आयुक्त (अंके.) होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) की रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-2-2010 दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सह. बोरतलाई पंजीयन क्रमांक 2846, दिनांक 28 मई, 2005 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी)को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 नवम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

के. पाटनकर,
उप-पंजीयक.

(99-C)

कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला शिवपुरी

शिवपुरी, दिनांक 14 जनवरी, 2016

क्र./परि./2016/135.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2329, दिनांक 04 दिसम्बर, 2012 के द्वारा मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., तालभेव को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 15 दिवस में जवाब चाहा गया था. परन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् अपना जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि, संस्था निष्क्रिय है. संस्था नियमानुसार कार्य नहीं कर रही है. इससे यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि, संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अंतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5/1/99/पन्द्रह/सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., तालभेव जिसका पंजीयन क्रमांक 300, दिनांक 08 दिसम्बर, 1994 है, को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री अनिल श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

एस. के. सिंह,
उप-पंजीयक.

(100)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

वर्ष 2013-14 की अंकेक्षण टीप के अनुसार आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., विदिशा संस्था की उपविधि के उद्देश्यों की पूर्ति करने में असमर्थ रही है तथा वर्ष 2013-14 की अंकेक्षण टीप में अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण आक्षेप एवं सुझाव के बिन्दु क्रमांक 04 में संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गई है.

वर्ष 2013-14 की अंकेक्षण टीप से निष्कर्ष निकलता है कि संस्था निष्क्रिय है। इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (एक)(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., विदिशा पंजीयन क्रमांक 127, दिनांक 29 अप्रैल, 1955 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 12 जनवरी, 2016 को जारी करता हूँ।

भूपेन्द्र प्रताप सिंह,
उप-पंजीयक.

(101)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार

धार, दिनांक 26 दिसम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/1988.— इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2014/1287 धार, दिनांक 25 अगस्त, 2014 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महाकालपुरा, तहसील कुक्षी, जिला धार (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 1148, दिनांक 28 फरवरी, 2003 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री जी. एस. कनेश, सहकारी निरीक्षक, धार को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के नियुक्त परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महाकालपुरा, तहसील कुक्षी, जिला धार का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(102)

धार, दिनांक 26 दिसम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/1989.— इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2015/143, धार, दिनांक 30 जनवरी, 2015 के द्वारा श्याम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पटलावद, तहसील धरमपुरी, जिला धार (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 1262, दिनांक 07 जून, 2010 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री प्रदीप पाठक, उप-अंकेक्षक, धार को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के नियुक्त परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत श्याम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पटलावद, तहसील धरमपुरी, जिला धार (म.प्र.) का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

ओ. पी. गुप्ता,
उप-पंजीयक.

(102-A)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला धार

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के उपनियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार के द्वारा उनके समक्ष दर्शित आदेश से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्रमांक	संस्था का नाम	परिसमापन का आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	मनकामनेश्वर महादेव बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रिंगनोद, तहसील सरदारपुर	2016/21/04-01-2016
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बोड़िया, तहसील सरदारपुर, जिला धार	2016/22/04-01-2016
3.	युनिटी क्रेडिट सहकारी संस्था मर्या., राजगढ़, तहसील सरदारपुर, तिला धार	2016/23/04-01-2016
4.	आदर्श को. आप. स्टेशनरी एवं फर्नीचर एवं गुड्स सर्विस सोसा मर्या., सरदारपुर, जिला धार	2016/24/04-01-2016

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारण किसी भी लाभ बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

स्वरूप माधवाचार्य,
परिसमापक.

(103)

कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार

धार, दिनांक 07 दिसम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के उपनियम-57 (1)(सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/क्यू.-1.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत निम्न सहकारी समिति को परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्रमांक	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	प्रगति साख सहकारी संस्था मर्या., निसरपुर	1457/08-01-2014	1807/19-11-2015

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1960 के उपनियम-57 (1)(सी/ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समिति के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा, तदनुसार समिति की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 07 दिसम्बर, 2015 को मेरे द्वारा जारी किया गया है.

प्रदीप पाठक,
परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

(108)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला ग्वालियर

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
आनंद देव हरिजन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

आनंद देव हरिजन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./44, दिनांक सितम्बर, 1959 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई हैं :-

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 25 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण नहीं कराया गया है कि आपकी संस्था अकार्यशील स्थिति में है तथा जिन उद्देश्यों के लिये गठित की गई है, उनको पूर्ण करने में पूर्णतः असफल है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(109)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
महाराणा प्रताप गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

महाराणा प्रताप गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./103, दिनांक नवम्बर, 1982 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई हैं :-

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 25 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण नहीं कराया गया है कि आपकी संस्था अकार्यशील स्थिति में है तथा जिन उद्देश्यों के लिये गठित की गई है, उनको पूर्ण करने में पूर्णतः असफल है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(109-A)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
श्रीराम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

श्रीराम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./90, दिनांक अक्टूबर, 1981 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 25 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण नहीं कराया गया है कि आपकी संस्था अकार्यशील स्थिति में है तथा जिन उद्देश्यों के लिये गठित की गई है, उनको पूर्ण करने में पूर्णतः असफल है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(109-B)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
साया गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

साया गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./241, दिनांक 17 जनवरी, 1996 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 25 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण नहीं कराया गया है कि आपकी संस्था अकार्यशील स्थिति में है तथा जिन उद्देश्यों के लिये गठित की गई है, उनको पूर्ण करने में पूर्णतः असफल है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(109-C)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
नव सर्वोदय गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

नव सर्वोदय गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./315, दिनांक 17 अक्टूबर, 2002 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :-

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 25 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण नहीं कराया गया है, कि आपकी संस्था अकार्यशील स्थिति में है तथा जिन उद्देश्यों के लिये गठित की गई है, उनको पूर्ण करने में पूर्णतः असफल है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(109-D)

ग्वालियर, दिनांक 25 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
रतनाश्रय गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

क्र./परि./2016/169.—रतनाश्रय गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./339, दिनांक 28 मार्च, 2003 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :-

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 25 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण नहीं कराया गया है कि आपकी संस्था अकार्यशील स्थिति में है तथा जिन उद्देश्यों के लिये गठित की गई है, उनको पूर्ण करने में पूर्णतः असफल है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(109-E)

ग्वालियर, दिनांक 25 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
ग्वालियर लेदर शू मेकर कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

क्र./परि./2016/170.—ग्वालियर लेदर शू मेकर कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./04, दिनांक 08 अक्टूबर, 1959 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 25 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण नहीं कराया गया है कि आपकी संस्था अकार्यशील स्थिति में है तथा जिन उद्देश्यों के लिये गठित की गई है, उनको पूर्ण करने में पूर्णतः असफल है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(109-F)

ग्वालियर, दिनांक 25 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
श्यामा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

क्र./परि./2016/171.—श्यामा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./335, दिनांक 04 मार्च, 2003 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 25 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण नहीं कराया गया है कि आपकी संस्था अकार्यशील स्थिति में है तथा जिन उद्देश्यों के लिये गठित की गई है, उनको पूर्ण करने में पूर्णतः असफल है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(109-G)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
संकट मोचन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

संकट मोचन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./96, दिनांक जून, 1965 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 25 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण नहीं कराया गया है कि आपकी संस्था अकार्यशील स्थिति में है तथा जिन उद्देश्यों के लिये गठित की गई है, उनको पूर्ण करने में पूर्णतः असफल है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(109-H)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
माता गायत्री गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

माता गायत्री गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./372, दिनांक 01 जून, 2004 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 25 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण नहीं कराया गया है कि आपकी संस्था अकार्यशील स्थिति में है तथा जिन उद्देश्यों के लिये गठित की गई है, उनको पूर्ण करने में पूर्णतः असफल है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(109-I)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
बांके बिहारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

बांके बिहारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./355, दिनांक 09 सितम्बर, 2003 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 25 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण नहीं कराया गया है कि आपकी संस्था अकार्यशील स्थिति में है तथा जिन उद्देश्यों के लिये गठित की गई है, उनको पूर्ण करने में पूर्णतः असफल है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(109-J)

ग्वालियर, दिनांक 25 जनवरी, 2016

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
ओमशांती गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

क्र./परि./2016/175.—ओमशांती गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./319, दिनांक 18 नवम्बर, 2002 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 25 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण नहीं कराया गया है कि आपकी संस्था अकार्यशील स्थिति में है तथा जिन उद्देश्यों के लिये गठित की गई है, उनको पूर्ण करने में पूर्णतः असफल है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(109-K)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
साईधाम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

साईधाम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./388, दिनांक 26 मार्च, 2003 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 25 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण नहीं कराया गया है कि आपकी संस्था अकार्यशील स्थिति में है तथा जिन उद्देश्यों के लिये गठित की गई है, उनको पूर्ण करने में पूर्णतः असफल है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(109-L)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
रश्मि महिला अल्प बचत साख सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

रश्मि महिला अल्प बचत साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./783, दिनांक 10 फरवरी, 1995 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 25 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(109-M)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
श्रमिक प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या.,
ग्वालियर.

श्रमिक प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./158, दिनांक 18 अप्रैल, 1963 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :-

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 25 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(109-N)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
रोशन महिला प्रा. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या.,
ग्वालियर.

रोशन महिला प्रा. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./839, दिनांक 15 अप्रैल, 1996 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :-

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 25 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(109-O)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
काबेरी महिला प्रा. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या.,
ग्वालियर.

काबेरी महिला प्रा. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./798, दिनांक 06 मई, 1995 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 25 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(109-P)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
कैंसर केम्पस प्रा. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या.,
ग्वालियर.

कैंसर केम्पस प्रा. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./416, दिनांक 10 अक्टूबर, 1983 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 25 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(109-Q)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
शहरिया महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या.,
चैत घाटीगांव.

शहरिया महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., चैत घाटीगांव, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./992, दिनांक 20 अक्टूबर, 2011 है। सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 25 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है।

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है। तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(109-R)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
जय शीतला महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या.,
बडेरा भारस.

जय शीतला महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बडेरा भारस, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./958, दिनांक 26 जून, 2004 है। सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 25 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है।

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है। तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(109-S)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
नैमीनाथ बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या.,
पनिहार.

नैमीनाथ बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., पनिहार, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./936, दिनांक 03 मार्च, 2004 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 25 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(109-T)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
ए. एस. साख सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

ए. एस. साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./988, दिनांक 16 अक्टूबर, 2009 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 25 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(109-U)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
दिलाशा साख सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

दिलाशा साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./992, दिनांक 20 अक्टूबर, 2011 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 25 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(109-V)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
जय भीम रफ्तार यातायात सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

जय भीम रफ्तार यातायात सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./205, दिनांक 26 जून, 1993 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 25 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(109-W)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
जय अम्बिका यातायात सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

जय अम्बिका यातायात सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./204, दिनांक 26 जून, 1993 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 25 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(109-X)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
शक्तिपुंज महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या.,
गंगामालनपुर.

शक्तिपुंज महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., गंगामालनपुर, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./957, दिनांक 26 जून, 2004 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 25 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(109-Y)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
शैली महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

शैली महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी. आर./160, दिनांक 28 जून, 2004 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 25 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(109-Z)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
महिला प्राथमिक मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

महिला प्राथमिक मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./281, दिनांक 21 सितम्बर, 2000 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 25 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(110)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
मधुर महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या.,
जौरासी.

मधुर महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., जौरासी, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./256, दिनांक 04 जनवरी, 1997 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 25 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(110-A)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
रूपा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या.,
ईटमा.

रूपा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., ईटमा, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./874, दिनांक 12 मई, 1998 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 25 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(110-B)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
कीर्ति महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या.,
ईटाइल.

कीर्ति महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., ईटाइल, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./925, दिनांक 26 फरवरी, 2003 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :-

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 25 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(110-C)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
संतोषी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या.,
बरई.

संतोषी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बरई, , ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./932, दिनांक 12 मई, 2003 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :-

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 25 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(110-D)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
रामेश्वरधाम महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या.,
जरगांव.

रामेश्वरधाम महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., जरगांव, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./944, दिनांक 26 अप्रैल, 2004 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 25 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(110-E)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
एकता महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या.,
चिरूली.

एकता महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., चिरूली, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./961, दिनांक 01 जुलाई, 2004 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 25 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(110-F)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
बल्देव गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

बल्देव गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./80, दिनांक अप्रैल, 1980 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :-

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 25 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण नहीं कराया गया है, कि आपकी संस्था अकार्यशील स्थिति में है तथा जिन उद्देश्यों के लिए गठित की गई है उनको पूर्ण करने में पूर्णतः असफल है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(110-G)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या.,
सरनागत.

महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सरनागत, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./967, दिनांक 10 अगस्त, 2004 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :-

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 25 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(110-H)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
माँ पार्वती महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या.,
साँखनी.

माँ पार्वती महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., साँखनी, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./966, दिनांक 20 जुलाई, 2004 है। सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 25 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है।

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं। तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(110-I)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
खेरापति महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या.,
गोहिंदा.

खेरापति महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., गोहिंदा, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./953, दिनांक 15 जून, 2004 है। सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 25 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है।

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है। तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(110-J)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या.,
जंगीपुर.

महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., जंगीपुर, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./954, दिनांक 15 जून, 2004 है। सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 25 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है।

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है। तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(110-K)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
मंशादेवी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या.,
थर (घाटीगांव).

मंशादेवी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., थर (घाटीगांव), ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./979, दिनांक 20 अगस्त, 2007 है। सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 25 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है।

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है। तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(110-L)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.,
घाटीगांव.

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., घाटीगांव, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./496, दिनांक 31 मार्च, 1989 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :-

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 25 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(110-M)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.,
उटीला.

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उटीला, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./597, दिनांक 19 मार्च, 1991 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :-

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 25 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूं कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(110-N)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.,
रंगवा.

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रंगवा, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./493, दिनांक 31 मार्च, 1989 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 25 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(110-O)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कारिणी-समिति द्वारा अध्यक्ष,
तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.,
पाटई.

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पाटई, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./501, दिनांक 31 मार्च, 1989 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 25 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(110-P)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.,
बडागांव.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बडागांव, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./956, दिनांक 26 अगस्त, 2004 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 25 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(110-Q)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.,
नयागांव.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नयागांव, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./980, दिनांक 06 फरवरी, 2008 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 25 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(110-R)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.,
लोढपुरा.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लोढपुरा, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./431, दिनांक 23 फरवरी, 2013 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 25 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(110-S)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
भदावर तेल उद्योग सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

भदावर तेल उद्योग सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./430, दिनांक 21 फरवरी, 1984 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 25 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(110-T)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
जय माँ बीड़ी उद्योग सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

जय माँ बीड़ी उद्योग सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./405, दिनांक 05 अप्रैल, 2008 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 25 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(110-U)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
माँ पीताम्बरा सिलाई उद्योग सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

माँ पीताम्बरा सिलाई उद्योग सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./400, दिनांक 26 नवम्बर, 2007 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 25 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(110-V)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
मशीन कढ़ाई उद्योग सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

मशीन कढ़ाई उद्योग सहकारी संस्था मर्या., आंतरी, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./462, दिनांक 06 मार्च, 1985 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 25 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(110-W)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
अन्नपूर्णा शीतग्रह एवं प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

अन्नपूर्णा शीतग्रह एवं प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या., आंतरी, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./26, दिनांक 10 जून, 1997 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 25 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(110-X)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
शिक्षित बेरोजगार कल्याण सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

शिक्षित बेरोजगार कल्याण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./440, दिनांक 25 मई, 1986 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 25 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(110-Y)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
प्रजापति ईट भट्टा उद्योग सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

प्रजापति ईट भट्टा उद्योग सहकारी संस्था मर्या., आंतरी, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./4, दिनांक 17 जुलाई, 1959 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 25 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(110-Z)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक/ प्रभारी अधिकारी,
प्रबंध कारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
कालीन्दी पी. बी. सी. उद्योग सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

कालीन्दी पी. बी. सी. उद्योग सहकारी संस्था मर्या., आंतरी, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./390, दिनांक 11 मार्च, 2005 है। सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 25 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है।

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है। तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(111)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
हरिजन पिगरी पालन उद्योग सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

हरिजन पिगरी पालन उद्योग सहकारी संस्था मर्या., आंतरी, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./970, दिनांक 08 जून, 2005 है। सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 25 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है।

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है। तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(111-A)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
नारद बाबा मत्स्य उद्योग सहकारी संस्था मर्या.,
वीरपुर, घाटीगांव.

नारद बाबा मत्स्य उद्योग सहकारी संस्था मर्या., वीरपुर, घाटीगांव, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./423, दिनांक 27 अगस्त, 2012 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 25 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन-मुद्रा से जारी किया गया.

(111-B)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
आदर्श सूअर पालन उद्योग सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

आदर्श सूअर पालन उद्योग सहकारी संस्था मर्या., आंतरी, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./379, दिनांक 28 जुलाई, 2004 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 25 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(111-C)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
जाग्रति महिला साख सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

जाग्रति महिला साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./872, दिनांक 31 दिसम्बर, 1997 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :-

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 25 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(111-D)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
महिला विकास साख सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

महिला विकास साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./851, दिनांक.....है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :-

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 25 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(111-E)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
गंगा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या.,
पिपरीआ.

गंगा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., पिपरीआ, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./914, दिनांक 13 मार्च, 2002 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :-

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 25 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(111-F)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
अर्चना महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या.,
मस्तुरा.

अर्चना महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., मस्तुरा, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./961, दिनांक 04 मार्च, 2005 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :-

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 25 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(111-G)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
यमुना महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या.,
बनवार.

यमुना महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बनवार, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./915, दिनांक 31 मार्च, 2002 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :-

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 25 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(111-H)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
वीना बादनी महिला सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

वीना बादनी महिला सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./792, दिनांक 27 मार्च, 1995 है. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :-

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 25 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है. जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है.

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयावधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(111-I)

“कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
महिला कल्याण साख सहकारी संस्था मर्या.,
सिरसुला.

महिला कल्याण साख सहकारी संस्था मर्या., सिरसुला, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर./784, दिनांक 13 फरवरी, 1995 है। सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्था, ग्वालियर के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितता संज्ञान में आई है :—

1. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, ग्वालियर के प्रतिवेदन दिनांक 25 जनवरी, 2016 के अनुसार आपकी संस्था की लगातार 03 वर्ष से अंकेक्षण के आधार पर “डी” अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आपकी संस्था अकार्यशील है।

अतः संस्था द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंधकीय विधान का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोप के लिये सूचना-पत्र आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त कारण से संस्था को परिसमापन में लाया जावे। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 25 फरवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयवाधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा, कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार है। तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

संजय दलेला,
उपायुक्त (सहकारिता).

(111-J)



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 फरवरी 2016-माघ 23, शके 1937

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 14 अक्टूबर, 2015

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के सतना, धार जिले को छोड़कर किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.—

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील रघुराजनगर, उचेहरा, रामनगर (सतना), धार (धार) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**—जिला श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, सतना, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, मंदसौर, उज्जैन, शाजापुर, झाबुआ, जबलपुर, कटनी, डिण्डोरी, सिवनी में रबी फसलों की जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला अनूपपुर में फसल शई, चना, अलसी व सीधी में चना, सरसों, अलसी व श्योपुर, ग्वालियर, उमरिया, मंदसौर, उज्जैन, शाजापुर व झाबुआ, सिवनी में रबी फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.**—

5. **कटाई.**—जिला दमोह, धार, बुरहानपुर, सीहोर में सोयाबीन व डिण्डोरी में धान, अनूपपुर में सोयाबीन, उड़द व आगर, इन्दौर, खरगौन, कटनी, सिवनी में खरीफ फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**—जिला श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, दमोह, सतना, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, देवास, झाबुआ, रायसेन, जबलपुर, सिवनी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, समाहांत बुधवार, दिनांक 14 अक्टूबर, 2015

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. सबलगढ़ 6. कैलारस				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, बाजरा, ज्वार, तिल, उड़द, मूँग, सोयाबीन. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर 2. कराहल 3. विजयपुर				
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) ज्वार, बाजरा, तिल समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर 2. भिण्ड 3. गोहद 4. मेहगांव 5. लहार 6. मिहोना 7. रौन				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना अधिक. उड़द, मूँगमोठ, तुअर, मूँगफली कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर 2. डबरा 3. भितरवार 4. घाटीगांव				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, उड़द, तिल, मूँगफली, सोयाबीन, गन्ना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा 2. दतिया 3. भाण्डेर				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी 2. पिछोर 3. खनियाधाना 4. नरवर 5. करैरा 6. कोलारस 7. पोहरी 8. बदरवास				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. मुँगावली	..		4. (1) सोयाबीन, मक्का, गन्ना अधिक. उड़द कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	..		(2) ..		
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. शाढौरा	..				
*जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ...
1. गुना	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. राघोगढ़	..		(2) ..		
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..		4. (1) धान, ज्वार, मूँगफली, गन्ना	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	..		(2) ..		
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
7. ओरछा	..				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. लव-कुशनगर	..		4. (1) तिल अधिक. तुअर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	..		(2) ..		
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
7. बड़ामलहरा	..				
8. बकस्वाहा	..				
*जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. अजयगढ़	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. पन्ना	..		(2) ..		
3. गुन्नौर	..				
4. पवई	..				
5. शाहनगर	..				
*जिला सागर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ...
1. बीना	..		4. (1) ..	6. ...	8. ..
2. खुरई	..		(2) ..		
3. बण्डा	..				
4. सागर	..				
5. रेहली	..				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	..				
9. केसली	..				
10. मालथोन	..				
11. शाहगढ़	..				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. सोयाबीन की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	..		4. (1) ज्वार, सोयाबीन, उड़द, तुअर, मूंग, मक्का, धान, तिल सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. ..
1. रघुराजनगर	1.8		4. (1) तिल अधिक. धान, सोयाबीन, उड़द कम. तुअर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	..		(2) ..		
3. रामपुर-बधेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	2.0				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	2.0				
8. मैहर	..				
9. बिरसिंहपुर	..				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्योंथर	..		4. (1) सोयाबीन, उड़द, मूंग अधिक. धान, चना कम. तुअर, ज्वार समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	..		(2) ..		
3. मऊगंज	..				
4. हनुमना	..				
5. हुजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. रायपुरकचुलियान	..				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	..		4. (1) धान, मक्का, को. कुटकी, सोयाबीन, तुअर, उड़द कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	..		(2) ..		
3. जैसिंहनगर	..				
4. जैतपुर	..				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं राई, चना, अलसी की बोनी व सोयाबीन, उड़द की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	..		4. (1) धान, तुअर, कोदों-कुटकी, राई, अलसी कम. सोयाबीन समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	..		(2) ..		
3. कोतमा	..				
4. पुष्पराजगढ़	..				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों जुताई एवं रबी फसलों बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	..		4. (1) मक्का, धान, ज्वार, तिल, को. कुटकी, उड़द, मूंगफली, तुअर, बाजरा अधिक. रामतिल, सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	..		(2) ..		
3. मानपुर	..				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी : 1. गोपदवनास 2. सिहावल 3. मझौली 4. कुसमी 5. चुरहट 6. रामपुरनैकिन	मिलीमीटर	2. जुताई एवं चना सरसों, अलसी की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना, अलसी, राई कम. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, • चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
*जिला सिंगरौली : 1. चितरंगी 2. देवसर 3. सिंगरौली	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
जिला मन्दसौर : 1. सुवासरा-टप्पा 2. भानपुरा 3. मल्हारगढ़ 4. गरोठ 5. मन्दसौर 6. श्यामगढ़ 7. सीतामऊ 8. धुन्धडका 9. संजीत 10. कयामपुर	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) सोयाबीन अधिक. मक्का कम. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला नीमच : 1. जावद 2. नीमच 3. मनासा	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) सोयाबीन, मक्का अधिक. तिल, तुअर, मूंगफली कम. उड़द समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला रतलाम : 1. जावरा 2. आलोट 3. सैलाना 4. बाजना 5. पिपलौदा 6. रतलाम	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, कपास. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला उज्जैन : 1. खाचरौद 2. महिदपुर 3. तराना 4. घटिया 5. उज्जैन 6. बड़नगर 7. नागदा	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला आगर : 1. बड़ौद 2. सुसनेर 3. नलखेड़ा 4. आगर	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) सोयाबीन, मक्का, ज्वार. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
जिला शाजापुर : 1. मो. बड़ोदिया 2. शाजापुर 3. शुजालपुर 4. कालापिपल 5. गुलाना	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) सोयाबीन, मक्का, तुअर, उड़द, मूंग. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना अधिक. कपास, तिल, मूंगफली, कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. ..
1. सोनकच्छ	..				
2. टोंकखुर्द	..				
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नौद	..				
6. खातेगांव	..				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, सोयाबीन, धान कम. कपास, समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. थांदला	..				
2. मेघनगर	..				
3. पेटलावद	..				
4. झाबुआ	..				
5. राणापुर	..				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, अधिक. ज्वार, बाजरा, उड़द, कपास कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जोवट	..				
2. अलीराजपुर	..				
3. कट्टीवाड़ा	..				
4. सोण्डवा	..				
5. भामरा	..				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. सोयाबीन की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) सोयाबीन अधिक. कपास, गन्ना, मक्का कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. बदनावर	..				
2. सरदारपुर	..				
3. धार	2.4				
4. कुक्षी	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
8. डही	..				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..				
2. सांवेर	..				
3. इन्दौर	..				
4. महू	..				
(डॉ. अम्बेडकरनगर)					
जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) मक्का, बाजरा, कपास, मूंगफली, अलसी, राई-सरसों अधिक. ज्वार, धान, तुअर, गेहूँ, चना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..				
2. महेश्वर	..				
3. सेगांव	..				
4. खरगौन	..				
5. गोगावां	..				
6. कसरावद	..				
7. भगवानपुरा	..				
8. भीकनगांव	..				
9. झिरन्या	..				

1	2	3	4	5	6
*जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. बड़वानी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. ठीकरी	..		(2) ..		
3. राजकोट	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
*जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. खण्डवा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. पंधाना	..		(2) ..		
3. हरसूद	..				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसल सोयाबीन की कटाई कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..		4. (1) कपास, मूंगफली.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	..				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	..		4. (1) सोयाबीन, उड़द.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	..				
4. बासौदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. ग्यारसपुर	..				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरागढ़	..		4. (1) सोयाबीन, मूंग, मक्का, धान, तुअर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर/बैरसिया	..		मूंगफली अधिक.	चारा पर्याप्त.	
			(2) ..		
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. सोयाबीन की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. सीहोर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. बुधनी	..				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	..		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदों- कुटकी, तुअर, उड़द, मूंग, तिल, मूंगफली, सोयाबीन.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	..		(2) ..		
3. बेगमगंज	..				
4. गौहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	..				
8. उदयपुरा	..				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	..		(2) ..		
3. शाहपुर	..				
4. चिचोली	..				
5. बैतूल	..				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..		4. (1) धान, सोयाबीन अधिक. मूंगमोठ, उड़द कम. तुअर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	..		(2) ..		
3. बावई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. वनखेड़ी	..				
8. पचमढी	..				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. हरदा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. ..
2. खिड़किया	..		(2) ..		
3. टिमरनी	..				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	..		4. (1) धान अधिक. मूंग, उड़द, सोयाबीन, तिल, तुअर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाटन	..		(2) ..		
3. जबलपुर	..				
4. मझौली	..				
5. कुण्डम	..				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की जुताई व खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	..		4. (1) धान, तिल, तुअर, कोदों, मक्का, ज्वार, मूंग, उड़द.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. रीठी	..		(2) ..		
3. विजयराघौगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. डीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	..		4. (1) तुअर, सोयाबीन, धान, उड़द, गन्ना, मूंग.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. ..
2. करेली	..		(2) ..		
3. नरसिंहपुर	..				
4. गोटेगांव	..				
5. तेन्दूखेड़ा	..				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	..		4. (1) मक्का, सन, तिल, धान, उड़द, तुअर, कोदों-कुटकी, सोयाबीन. सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	..		(2) ..		
3. नैनपुर	..				
4. मण्डला	..				
5. घुघरी	..				
6. नारायणगंज	..				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. जुताई व धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	..		4. (1) मक्का, धान, सोयाबीन, कोदों-कुटकी, तुअर, उड़द, रामतिल.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बजाग	..		(2) ..		
3. शाहपुरा	..				
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	..		4. (1) मक्का, धान अधिक. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	..		(2) ..		
3. परासिया	..				
4. जामई (तामिया)	..				
5. सोंसर	..				
6. पांडुर्णा	..				
7. अमरवाड़ा	..				
8. चौरई	..				
9. बिछुआ	..				
10. हरई	..				
11. मोहखेड़ा	..				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	..		4. (1) मक्का, तुअर, उड़द, मूंगफली, तिल, सन् अधिक. धान, ज्वार को-कुटकी सोयाबीन, गन्ना कम. मूंग समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	..		(2) ..		
3. लखनादौन	..				
4. बरघाट	..				
5. उरई	..				
6. घंसौर	..				
7. घनोरा	..				
8. छपारा	..				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद; चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	..		(2) ..		
3. बैहर	..				
4. वारासिवनी	..				
5. कटंगी	..				
6. किरनापुर	..				

टीप.— *जिला गुना, पन्ना, सागर, सिंगरौली, बड़वानी, खण्डवा से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.